He Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 674] No. 674] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2012/पौष 10, 1934

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2012/PAUSA 10, 1934

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 7 मार्च, 2012

'प्रतिभृति' की परिभाषा

सा.का.नि. 944(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) (फेमा) की धारा 2 के खंड (जेडए) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक कंपनी (भारतीय निक्षेपागार रसीद का निर्गम) नियमावली, 2004 के नियम 3 के उप-नियम (i) के खंड (सी) के तहत यथा परिभाषित भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआरएस) को फेमा के प्रयोजन के लिए "प्रतिभृति" के रूप में अधिसूचित करता है।

[सं. फेमा 223/2012-आरबी]

मीना हेमचंद्र. प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th March, 2012

Definition of 'Security'

GS.R. 944(E).— In pursuance of clause (za) of Section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) (FEMA), the Reserve Bank notifies Indian Depository Receipts (IDRs) as defined under clause (c) of sub-rule (i) of Rule 3 of Companies (Issue of Indian Depository Receipts) Rules, 2004, as "security" for the purposes of FEMA.

[No. FEMA 223/2012-RB]

MEENA HEMCHANDRA, Chief General Manager-in-Charge